तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज **केवलाराम वगैरह बनाम सुमेरदान वगैरह, मुकदमा संख्या – 285 / 2024**	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीली में जारी हुए

23.10.2024

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि सरहद मौजा लुणियासर में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 13 रकबा 22.67 हैक्टेयर की आई हुई है। उक्त आराजी प्रार्थी केवलाराम के हिस्से व कब्जाकाश्त में 5.17 हैक्टेयर एवं प्रार्थीया लक्ष्मीदेवी के हिस्से व कब्जे काश्त में 1.62 हैक्टेयर भूमि आती है इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 सुमेरदान के बंट में स्वयं व पुश्तैनी भूमि मिलाकर 7.48 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 2 छगन कंवर के हिस्से में 4.21 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 3 केहरा के हिस्से में 1.28 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 4 गमनी के बंट में 2.59 हैक्टेयर भूमि एवं अप्रार्थी संख्या 5 पारू देवी के हिस्से 0.32 हैक्टेयर भूमि आती है। प्रार्थीगण ने उक्त वर्णित भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज के प्राप्त की थी, वक्त खरीद उसी समय मौके पर हमने कब्जा प्राप्त कर लिया था तथा प्रार्थी संख्या 1 केवलाराम की बंट की भूमि को संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में लाल रंग से तथा प्रार्थीया लक्ष्मीदेवी के बंट व कब्जा काश्त की भूमि को केशरीया रंग से दर्शाया गया है। उक्त आराजी का बंटवाड़ा नहीं होने से सीमा बाबत् विवाद होते रहते है जिस हेतु हमने कई बार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को परस्पर सहमति से बंटवाड़ा हेतु निवेदन किया परन्तु अप्रार्थीगण सहमत नहीं हुए। आज से दो वर्ष पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 10 को साथ लेकर नाजायज मजबा बनाकर हमारी कब्जा काश्त व बंट की भूमि में प्रविष्ट हुआ व सभी ने मिलकर हमारे बंट आई भूमि की माठों को तोड़ने लगे एवं मना करने के बावजूद नहीं माने तथा कहने लगे की तुम लोग तुम्हारी उपजाउ भूमि हमे दे दो अन्यथा हम तुम्हें जबरन कब्जे से बेदखल कर कब्जा कर लेंगे। ऐसी सूरत में प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया है। उक्त वादग्रस्त आराजी हमने जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के प्रतिफल रकम अदा कर खरीद की है, मौके पर पुराना कब्जा है, राजस्व रेकर्ड में खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि को खरीदने के पश्चात खाद वगैरह डालकर उपजाउ व उपयोगी बनाया है जिससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। उक्त आराजी प्रार्थीगण द्वारा प्रतिफल की पूर्ण रकम अदा कर खरीद की है तथा खरीद तारीख से हमारा विधिपूर्ण कब्जा काश्त है जिससे हमें बेदखल किया गया तो अपूरणीय क्षति होगी जिसका दृव्य में आंकलन किया जाना नामुमकिन है। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों आधारभूत सिद्वान्त प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा लुणियासर के खसरा संख्या 13 रकबा 22.67 हैक्टेयर भूमि में मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त बंट की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करें व न ही किसी से करावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का घोर विरोध करते हुए अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीया लक्ष्मी देवी के हिस्से व कब्जे में रकबा 1.62 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 सुमेरदान के बंट में पिता मुरारदान की भूमि में 1/2 हिस्सा अनुसार रकबा 4.21 हैक्टेयर तथा स्वयं की 3.27 हैक्टेयर भूमि मिलाकर 7.48 हैक्टेयर भूमि बंट में है। अप्रार्थी संख्या 3 केहरा के बंट में रकबा 1.28 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 4 गमनी देवी के बंट में रकबा 2.59 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 5 पारूदेवी के बंट में 0.32 हैक्टेयर भूमि आती है किन्तु केवलाराम के बंट में मात्र 5.17 हैक्टेयर भूमि न होकर 3.24 हैक्टेयर भूमि ही बंट में आती है रकबा 1.93 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 7 एवं

सहायक कल[illegible] मजिस्ट्रेट
(फास्ट्ट्रेक) सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:16:05 IST
Reason: SelfAttested

8 का काफी अर्से से काश्त एवं कब्जा है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण केवलाराम का 3.24 हैक्टेयर भूमि पर तथा प्रार्थीया की माता लक्ष्मीदेवी का 1.62 हैक्टेयर भूमि पर काश्त एवं कब्जा है। प्रार्थी केवलाराम का 5.17 हैक्टेयर भूमि पर काश्त एवं कब्जा नहीं है मात्र 3.24 हैक्टेयर भूमि पर ही काश्त कब्जा है तथा अप्रार्थी संख्या 7 व 8 का 1.93 हैक्टेयर भूमि में खेत के उत्तर में काश्त एवं कब्जा है। नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में लाल रंग से दर्शाया गया प्रार्थी का काश्त एवं कब्जा न होकर उस स्थान पर अप्रार्थी संख्या 7 व 8 का काश्त एवं कब्जा है। प्रार्थीया लक्ष्मीदेवी का बंट केसरीया रंग से दर्शायी गई भूमि पर नहीं है किन्तु खेत के दक्षिण दिशा में प्रार्थीया लक्ष्मीदेवी का काश्त एवं कब्जा है। प्रार्थीगण द्वारा नक्शा परिशिष्ठ 'अ' गलत पेश करने से वाद का आधार एवं उक्त प्रार्थना–पत्र का आधार समझा नहीं जा सकता। प्रार्थीगण के पक्ष में किसी प्रकार का कोई प्रथम दृष्ट्या मामला या सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के आधार स्तंभ पक्ष में नहीं है। प्रार्थीगण ने मनगंढत एवं गलत प्रार्थना–पत्र एवं वाद पेश किया है जो कतई चलने योग्य नहीं है जबकि भूमि हमारी है तथा हम अप्रार्थीगण संख्या 7 व 8 का मौके पर नक्शा परिशिष्ठ 'अ' अनुसार भूमि उतर दिशा में स्थित है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र सारहीन एवं बलहीन होने से काबिले अपास्तनीय है अतः जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र साहरीन, बलहीन एवं मनगंढत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमावें तथा उक्त प्रकरण में जारी एकतरफा अंतिरम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश भी गलत एवं विधि विरूद्व होने से खारिज किया जावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेध[illegible] की जाती है कि अप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त आराजी की [illegible] की यथास्थिति बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:16:05 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) सांचौर जिला सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रैक) सांचौर